न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 178/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री लीला राम गुर्जर पुत्र श्री सुंडाराम गुर्जर, निवासी हाथीदेह, श्रीमाधोपुर, थाना अजीतगढ, सीकर, वाहन चालक गाडी संख्या RJ12GA 1263
2. मालिक गाडी संख्या RJ12GA 1263

4. निर्णय दिनांक : 01-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री विजय बेनीवाल अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ग्रामीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पर्चा मौका, फर्द अभिग्रहण आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी लीलाराम गुर्जर पिकअप को पनियाला थाना पुलिस द्वारा जांच करने पर अवैध डीजल भरा मिला, जिसे पुलिस द्वारा डिटेन कर थाने में लाया गया। पनियाला थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 13.03.2015 को पुलिस थाना पनियाला में डिटेन वाहन की जांच कार्यवाही कर अवैध 2197.750 लीटर डीजल मय महेन्द्रा मेक्स पिकअप संख्या RJ12GA 1263 को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त डीजल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई दस्तावेज उक्त वाहन के संबंध में पेश किये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त सामान को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय बेनीवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी/अभिभाषक संख्या 1 की ओर से स्वयं को जब्त वाहन के पंजीकृत स्वामी का मुख्त्यारआम स्वामी बताया और वाहन को जमानतनामे पर छोडने का निवेदन करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी के सुपुर्दगीनामा व रुपये 5,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने महेन्द्रा पिकअप संख्या RJ12GA 1263 के मोचन आदेश पारित किये। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस [illegible] रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01-07-22 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 13.03.2015 को अप्रार्थी लीलाराम गुर्जर की पिकअप को पनियाला थाना पुलिस द्वारा जांच करने पर अवैध डीजल मिला। पनियाला थाना पुलिस की सूचना पर प्रार्थी ने जांच दल के साथ दिनांक 13.03.2015 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 2197.750 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक के बडे ड्रम तथा महेन्द्रा पिकअप संख्या RJ12GA 1263 को जब्त किया। पूछताछ के दौरान अप्रार्थी ने बताया कि हरियाणा में डीजल की कीमत राजस्थान से कम होने के कारण डीजल को बूढवाल, महेन्द्रगढ के पेट्रोल पम्प से खरीद कर उसे गांव के लोगों को लाभ कमाने के लिये बेचने जा रहा था। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल अवैध था और उनके संधारण एवं परिवहन बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति ने भी जब्तशुदा सामग्री के लिये क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 2197.750 लीटर डीजल मय 11 प्लास्टिक के बडे ड्रम तथा महेन्द्रा पिकअप संख्या RJ12GA 1263 शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।